रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 216] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 27, 1985/वैशाख 7, 1907

No. 216] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 27, 1985/VAISAKHA 7, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1985

का. आ. 368(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध)* स्कीम, 1970 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) स्कीम, 1985 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 में,—

(क) खंड 13 का लोप किया जाएगा;

(ख) (i) खण्ड 14 को उसके उपखंड (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपखंड (1) में से "ऐसी अन्य" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपखंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उपखण्ड (1) के अधीन गठित किसी समिति को बोर्ड, किसी भी समय जब वह ठीक समझे, पुनर्गठित कर सकता है।"

(ग) खंड 16 के उपखंड (4) का लोप किया जाएगा;

(घ) खंड 18 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"18. बोर्ड के अधिवेशन के बिना संकल्प का विधिमान्य होना—बोर्ड के सदस्यों की बहुसंख्या द्वारा हस्ताक्षरित लिखित संकल्प विधिमान्य और प्रभावकारी होगा और वह बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित संकल्प समझा जाएगा जिस दिन संकल्प पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किए हैं;

परन्तु पूर्वोक्त रूप में पारित कोई संकल्प, बोर्ड के अगले अधिवेशन में रखा जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि विसम्मति प्रकट करने वाला कोई सदस्य लिखित रूप में यह अपेक्षा करता है कि इस प्रकार पारित कोई संकल्प बोर्ड के अधिवेशन में रखा जाए तो संकल्प यथापूर्वोक्त रूप में तब तक विधिमान्य और प्रभावकारी नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह ऐसे अधिवेशन में पारित नहीं हो जाता ।" ।

[सं. एफ. 4/1/84-बी. ओ.-I (1)]

*मूल स्कीम अधिसूचना सं. का. आ. 3793, तारीख 16 नवम्बर, 1970 के अधीन प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उसका संशोधन किया गया :—

क्रम सं.	का. आ. सं.	तारीख
1.	67(अ)	17-11-71
2.	192(अ)	15-3-72
3.	575(अ)	4-9-72
4.	651(अ)	25-9-72
5.	715(अ)	16-11-72
6.	3467	19-11-73
7.	1992	16-6-75
8.	1088	18-2-76
9.	421(अ)	21-6-76
10.	888(अ)	11-11-80
11.	346(अ)	30-4-83
12.	144(अ)	1-3-84

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th April, 1985

S.O. 368(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India hereby makes the following scheme further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme,* 1970, namely :—

1. (1) This scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme 1985.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970,—

(a) clause 13 shall be omitted ;

(b) (i) clause 14 shall be renumbered as sub-clause (1) thereof and in sub-clause (1) as so renumbered, the words "such other" shall be omitted ;

(ii) after sub-clause (1) as so renumbered, the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(2) Any committee constituted under sub-clause (1) may be re-constituted by the Board at any time it thinks fit."

(c) sub-clause (4) of clause 16 shall be omitted ;

(d) for clause 18, the following clause shall be substituted, namely:—

"18. Resolution without meeting of the Board valid.—A resolution in writing signed by the majority of the members of the Board shall be valid and effectual and shall be deemed to be the resolution passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the resolution.

Provided that any resolution passed as aforesaid shall be placed before the next meeting of the Board :

Provided further that if any dissenting member requires in writing that any resolution so passed shall be placed before a meeting of the Board, the resolution shall not be deemed to be valid and effectual as aforesaid unless the same is passed at such meeting.".

[No. F. 4/1/84-B.O.-I(1)]

*The Principal Scheme was published vide notification No. S.O. 3793, dated 16th November, 1970 and subsequently amended vide the following notifications :—

S. No.	S.O. No.	Date
1.	67(E)	17-11-71
2.	192(E)	15-3-72
3.	575(E)	4-9-72
4.	651(E)	25-9-72
5.	715(E)	16-11-72
6.	3467	19-11-73
7.	1992	16-6-75
8.	1088	18-2-76
9.	421(E)	21-6-76
10.	888(E)	11-11-80
11.	346(E)	30-4-83
12.	144(E)	1-3-84

का. आ. 369(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध)* स्कीम, 1980 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन, स्कीम, 1985 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 में,—

(क) खंड 13 का लोप किया जाएगा;

(ख) (i) खंड 14 को उसके उपखंड (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपखंड (1) में से "ऐसी अन्य" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपखण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उपखंड (1) के अधीन गठित किसी समिति को बोर्ड, किसी भी समय जब वह ठीक समझे, पुनर्गठित कर सकता है।";

(ग) खंड 15 के उपखंड (4) का लोप किया जाएगा;

(घ) खंड 17 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"17 बोर्ड के अधिवेशन के बिना संकल्प का विधिमान्य होना—

बोर्ड के सदस्यों की बहुसंख्या द्वारा हस्ताक्षरित लिखित संकल्प विधिमान्य और प्रभावकारी होगा और वह बोर्ड द्वारा उस तारीख को पारित संकल्प समझा जाएगा जिस दिन संकल्प पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता ने हस्ताक्षर किए हैं:

परन्तु पूर्वोक्त रूप में पारित कोई संकल्प, बोर्ड के अगले अधिवेशन में रखा जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि विपम्मति प्रकट करने वाला कोई सदस्य लिखित रूप में यह अपेक्षा करता है कि इस प्रकार पारित कोई संकल्प बोर्ड के अधिवेशन में रखा जाए तो संकल्प यथापूर्वोक्त रूप में तब तक विधिमान्य और प्रभावकारी नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह ऐसे अधिवेशन में पारित नहीं हो जाता।"।

[सं. एफ. 4/1/84-बी. ओ.-I (2)]
वी. के. सिबल, संयुक्त सचिव

*टिप्पण : मूल स्कीम, अधिसूचना सं. का. आ. 875(अ) तारीख 4 नवम्बर, 1980 द्वारा प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् उसका संशोधन क्रमशः अधिसूचना सं. का. आ. 345(अ) तारीख 30-4-1983 और का. आ. 145(अ) तारीख 1-3-84 द्वारा किया गया।

S.O. 369(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, (40 of 1980), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following scheme further to amend the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) *Scheme, 1980, namely:—

1. (1) This scheme may be called the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) (Amendment). Scheme, 1985.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980,—

(a) clause 13 shall be omitted;

(b) (i) clause 14 shall be renumbered as sub-clause (1) thereof and in sub-clause (1) as so renumbered, the words "such other" shall be omitted;

(ii) after sub-clause (1) as so renumbered, the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(2) Any Committee constituted under sub-clause (1) may be re-constituted by the Board at any time it thinks fit." ;

(c) sub-clause)(4) of the clause 15 shall be omitted;

(d) for clause 17, the following clause shall be substituted, namely:—

"17. Resolution without meeting of the Board valid. — A resolution in writing signed by the majority of the members of the Board shall be valid and effectual and shall be deemed to be the resolution passed by the Board on the date it was signed by the last signatory to the resolution :

Provided that any resolution passed as aforesaid shall be placed before the next meeting of the Board:

Provided further that if any dissenting member requires in writing that any resolution so passed shall be placed before a meeting of the Board, the resolution shall not be deemed to be valid and effectual as aforesaid unless the same is passed at such meeting.".

[No. F. 4/1/84-B.O.-I(2)]

V.K. SIBAL, Jt. Secy.

*The Principal Scheme was published vide Notification No. S.O.875 (E), dated 4th November, 1980 and subsequently amended vide notifications No. S.O. 345 (E) dated 30.4.1983 and S.O. 145 (E) dated 1.3.1984 respectively.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985